

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/

दिनांक:-11.01.2017

आदेश संख्या. 144/2016-17

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में श्री दीपक जैन, लिंक न0 9745 (पूर्व मेरिट क्रमांक 279ए-2011) को सफल घोषित किए जाने पर विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख)(1)अलेसे-11 / 15323-60 दिनांक 21.08.2013 से परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में 2 वर्ष की कालावधि के लिए उपस्थिति देने की तिथि से 13050/- रुपये के नियत पारिश्रमिक पर कोषाधिकारी (ग्रामीण), उदयपुर में नियुक्ति दी गई। इनके द्वारा दिनांक 02.09.2013 को कोषाधिकारी (ग्रामीण), उदयपुर में उपस्थिति दी गई।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा-2011 का परीक्षा परिणाम दिनांक 13.10.14 को रिशफल किया गया था, जिसमें श्री दीपक जैन का चयन लेखाकार के स्थान पर कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु किया गया। श्री दीपक जैन के द्वारा रिशफल परीक्षा परिणाम के विरुद्ध माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल.रिट याचिका संख्या 11988/2014 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.11.2014 को स्थगन आदेश पारित कर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। जिसके आधार पर श्री दीपक जैन आज तक लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर कोषाधिकारी (ग्रामीण), उदयपुर में कार्य कर रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के सिविल याचिका संख्या 10969/2014 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री दीपक जैन का नाम लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में लेखाकार पद की आरक्षित सूची में मेरिट क्रमांक आर-12 पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया है।

श्री दीपक जैन लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में चयनोपरांत अब लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर ही कार्यरत रहेंगे। उनका वरीयता क्रमांक अब 279ए/2011 के स्थान पर आर-12/2011 होगा तथा वे अपने वर्तमान पद पर कार्यालय, कोषाधिकारी (ग्रामीण), उदयपुर में ही कार्यरत रहेंगे।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट याचिका संख्या 12141/2016 एवं अन्य याचिकाओं में अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन जारी किया जाता है।


(पंकज पार्थी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/1806

दिनांक:-11.01.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 2.संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3.कोषाधिकारी(ग्रामीण), उदयपुर।
- 4.अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 5.डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग/वरिष्ठता।
- 6.श्री.....स.ले.अ. ग्रेड-11 कार्यालय.....।
- 7.रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/

दिनांक:- 11.01.2017

आदेश संख्या 145/2016-17

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में श्री सुनील कुमार, लिंक नं. 9563 (पूर्व मेरिट क्रमांक 270-2011) को सफल घोषित किए जाने पर विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख)(1)अलेसे-11/16307-430 दिनांक 25.02.2013 से परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में 2 वर्ष की कालावधि के लिए उपस्थिति देने की तिथि से 11100/- रुपये के नियत पारिश्रमिक पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर, जिला सिरोंही में नियुक्ति दी गई। इनके द्वारा दिनांक 04.03.2013 को मध्याह्न पश्चात् विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर, जिला सिरोंही में उपस्थिति दी गई।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा-2011 का परीक्षा परिणाम दिनांक 13.10.14 को रिशफल किया गया था, जिसमें श्री सुनील कुमार का चयन लेखाकार के स्थान पर कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु किया गया। श्री सुनील कुमार के द्वारा रिशफल परीक्षा परिणाम के विरुद्ध माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल.रिट याचिका संख्या 10969/2014 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.10.2014 को स्थगन आदेश पारित कर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। जिसके आधार पर श्री सुनील कुमार आज तक लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर, जिला सिरोंही में कार्य कर रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के सिविल याचिका संख्या 10969/2014 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री सुनील कुमार का नाम लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में लेखाकार पद की आरक्षित सूची में मेरिट क्रमांक आर-4 पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया है।

श्री सुनील कुमार लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में चयनोपरांत अब लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर ही कार्यरत रहेंगे। उनका वरीयता क्रमांक अब 270/2011 के स्थान पर आर-4/2011 होगा तथा वे अपने वर्तमान पद पर कार्यालय, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर, जिला सिरोंही में ही कार्यरत रहेंगे।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट याचिका संख्या 12141/2016 एवं अन्य याचिकाओं में अंतिम निर्णय के अध्यधीन जारी किया जाता है।


(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/1407

दिनांक:- 11.01.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संबंधित कोषाधिकारी।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर, जिला सिरोंही।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग/ वरिष्ठता।
7. श्री.....स.ले.अ. ग्रेड-11 कार्यालय.....।
8. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/

दिनांक:- 11.01.2017

आदेश संख्या 416 / 2016-17

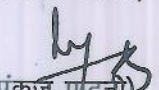
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में श्री ब्रिजेश सिंह, लिंक नं. 9560 (पूर्व मेरिट क्रमांक 267बी-2011) को सफल घोषित किए जाने पर विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख)(1)अलेसे-11 / 15012-51 दिनांक 11.02.2013 से परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में 2 वर्ष की कालावधि के लिए उपस्थिति देने की तिथि से 11100/- रुपये के नियत पारिश्रमिक पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), प्रतापगढ़ में नियुक्ति दी गई। श्री ब्रिजेश सिंह द्वारा दिनांक 15.02.2013 को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), प्रतापगढ़ में उपस्थिति दी गई।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा-2011 का परीक्षा परिणाम दिनांक 13.10.14 को रिशफल किया गया था, जिसमें श्री ब्रिजेश सिंह का चयन लेखाकार के स्थान पर कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु किया गया। श्री ब्रिजेश सिंह के द्वारा रिशफल परीक्षा परिणाम के विरुद्ध माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल.रिट याचिका संख्या 11999/2014 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.11.2014 को स्थगन आदेश पारित कर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। जिसके आधार पर श्री ब्रिजेश सिंह आज तक लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर ही (वर्तमान में बाल विकास परियोजना, अधिकारी, पोकरण, जैसलमेर) में कार्य कर रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के सिविल याचिका संख्या 10969/2014 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री ब्रिजेश सिंह का नाम लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में लेखाकार पद की आरक्षित सूची में मेरिट क्रमांक आर-2 पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया है।

श्री ब्रिजेश सिंह लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में चयनोपरांत अब लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर ही कार्यरत रहेंगे। उनका वरीयता क्रमांक अब 267बी/2011 के स्थान पर आर-2/2011 होगा तथा वे अपने वर्तमान पद पर कार्यालय, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पोकरण (जैसलमेर) में ही कार्यरत रहेंगे।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट याचिका संख्या 12141/2016 एवं अन्य याचिकाओं में अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन जारी किया जाता है।

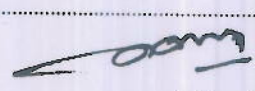

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/ 1808

दिनांक:- 11.01.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संबंधित कोषाधिकारी।
4. बाल विकास परियोजना, अधिकारी, पोकरण (जैसलमेर)
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग/वरिष्ठता।
7. श्री.....स.ले.अ. ग्रेड-11 कार्यालय.....।
8. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/

दिनांक:-11.01.2017

आदेश संख्या 147/2016-17

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में श्री परमानन्द शर्मा, लिंक नं. 9746 (पूर्व मेरिट क्रमांक 279बी-2011) को सफल घोषित किए जाने पर विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख)(1)अलेसे-11 / 15023-60 दिनांक 21.08.2013 से परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में 2 वर्ष की कालावधि के लिए उपस्थिति देने की तिथि से 13050/- रुपये के नियत पारिश्रमिक पर कोषाधिकारी, जिला धौलपुर में नियुक्ति दी गई। इनके द्वारा दिनांक 22.08.2013 को कोषाधिकारी, जिला धौलपुर में उपस्थिति दी गई।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा-2011 का परीक्षा परिणाम दिनांक 13.10.14 को रिशफल किया गया था, जिसमें श्री परमानन्द शर्मा का चयन लेखाकार के स्थान पर कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु किया गया। श्री परमानन्द शर्मा के द्वारा रिशफल परीक्षा परिणाम के विरुद्ध माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल.रिट याचिका संख्या 10969/2014 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.10.2014 को स्थगन आदेश पारित कर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। जिसके आधार पर श्री परमानन्द शर्मा आज तक लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर कोषाधिकारी, जिला धौलपुर में कार्य कर रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के सिविल याचिका संख्या 10969/2014 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री परमानन्द शर्मा का नाम लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में लेखाकार पद की आरक्षित सूची में मेरिट क्रमांक आर-13 पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया है।

श्री परमानन्द शर्मा लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में चयनोपरांत अब लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर ही कार्यरत रहेंगे। उनका वरीयता क्रमांक अब 279बी/2011 के स्थान पर आर-13/2011 होगा तथा वे अपने वर्तमान पद पर कार्यालय, कोषाधिकारी, जिला धौलपुर में ही कार्यरत रहेंगे।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट याचिका संख्या 12141/2016 एवं अन्य याचिकाओं में अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन जारी किया जाता है।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/1609

दिनांक:-11.01.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव. राजस्थान लोक सेवा आयोग. अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, जिला धौलपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग/ वरिष्ठता।
6. श्री.....स.ले.अ. ग्रेड-11 कार्यालय.....।
7. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/

दिनांक:- 11.01.2017

आदेश संख्या 148/2016-17

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में श्री श्रीनाथ पुरोहित, लिंक नं. 9741 (पूर्व मेरिट क्रमांक 272बी-2011) को सफल घोषित किए जाने पर विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख)(1)अलेसे-11/15023-60 दिनांक 21.08.2013 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 15073-79 दिनांक 22.08.2013 से परीक्षाधीन लेखाकार के रूप में 2 वर्ष की कालावधि के लिए उपस्थिति देने की तिथि से 13050/- रुपये के नियत पारिश्रमिक पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जैसलमेर में नियुक्ति दी गई। इनके द्वारा दिनांक 23.08.2013 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जैसलमेर में उपस्थिति दी गई।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा-2011 का परीक्षा परिणाम दिनांक 13.10.14 को रिशफल किया गया था, जिसमें श्री श्रीनाथ पुरोहित का चयन लेखाकार के स्थान पर कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु किया गया। श्री श्रीनाथ पुरोहित के द्वारा रिशफल परीक्षा परिणाम के विरुद्ध माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल.रिट याचिका संख्या 11999/2014 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.11.2014 को स्थगन आदेश पारित कर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। जिसके आधार पर श्री श्रीनाथ पुरोहित आज तक लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जैसलमेर में कार्य कर रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के सिविल याचिका संख्या 10969/2014 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री श्रीनाथ पुरोहित का नाम लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में लेखाकार पद की आरक्षित सूची में मेरिट क्रमांक आर-8 पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया है।

श्री श्रीनाथ पुरोहित लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में चयनोपरांत अब लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर ही कार्यरत रहेंगे। उनका वरीयता क्रमांक अब 272बी/2011 के स्थान पर आर-8/2011 होगा तथा वे अपने वर्तमान पद पर कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जैसलमेर में ही कार्यरत रहेंगे।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट याचिका संख्या 12141/2016 एवं अन्य याचिकाओं में अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन जारी किया जाता है।


(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/ 16/0

दिनांक:- 11.01.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संबंधित कोषाधिकारी।
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जैसलमेर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग/ वरिष्ठता।
7. श्री..... स.ले.अ. ग्रेड-11 कार्यालय.....।
8. रक्षित पंजिका/ आदेश पंजिका।


(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/

दिनांक:- 11.01.2017

आदेश संख्या 144/2016-17

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/कले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में श्री ललित कुमार पारीक, लिंक नं. 9562 (पूर्व मेरिट क्रमांक 269-2011) को सफल घोषित किए जाने पर विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख)(1)अलेसे-11/15791-940 दिनांक 06.02.2013 से परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में 2 वर्ष की कालावधि के लिए उपस्थिति देने की तिथि से 11100/- रुपये के नियत पारिश्रमिक पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोंही में नियुक्ति दी गई। इनके द्वारा दिनांक 11.02.2013 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोंही में उपस्थिति दी गई।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा-2011 का परीक्षा परिणाम दिनांक 13.10.14 को रिशफल किया गया था, जिसमें श्री ललित कुमार पारीक का चयन लेखाकार के स्थान पर कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु किया गया। श्री ललित कुमार पारीक के द्वारा रिशफल परीक्षा परिणाम के विरुद्ध माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल.रिट याचिका संख्या 10969/2014 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.10.2014 को स्थगन आदेश पारित कर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। जिसके आधार पर श्री ललित कुमार पारीक आज तक लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोंही में कार्य कर रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के सिविल याचिका संख्या 10969/2014 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री ललित कुमार पारीक का नाम लेखाकार/कले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में लेखाकार पद की आरक्षित सूची में मेरिट क्रमांक आर-3 पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया है।

श्री ललित कुमार पारीक लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में चयनोपरांत अब लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर ही कार्यरत रहेंगे। उनका वरीयता क्रमांक अब 269/2011 के स्थान पर आर-3/2011 होगा तथा वे अपने वर्तमान पद पर कार्यालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोंही में ही कार्यरत रहेंगे।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट याचिका संख्या 12141/2016 एवं अन्य याचिकाओं में अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन जारी किया जाता है।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

दिनांक:- 11.01.2017

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/141

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संबंधित कोषाधिकारी।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोंही।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. डीपीसी अनुभाग / गोपनीय अनुभाग / वरिष्ठता।
7. श्री.....स.ले.अ. ग्रेड-11 कार्यालय.....।
8. रक्षित पंजिका / आदेश पंजिका।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/

दिनांक:- 11.01.2017

आदेश संख्या 150/2016-17

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में श्री भगवत प्रसाद सिंघल, लिंक नं. 9738 (पूर्व मेरिट क्रमांक 270ए-2011) को सफल घोषित किए जाने पर विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख)(1)अलेसे-11/15023-60 दिनांक 21.08.2013 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 15174-185 दिनांक 03.09.2013 से परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में 2 वर्ष की कालावधि के लिए उपस्थिति देने की तिथि से 13050/- रुपये के नियत पारिश्रमिक पर सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, धौलपुर में नियुक्ति दी गई। इनके द्वारा दिनांक 05.09.2013 को सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, धौलपुर में उपस्थिति दी गई।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा-2011 का परीक्षा परिणाम दिनांक 13.10.14 को रिशफल किया गया था, जिसमें श्री भगवत प्रसाद सिंघल का चयन लेखाकार के स्थान पर कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु किया गया। श्री भगवत प्रसाद सिंघल के द्वारा रिशफल परीक्षा परिणाम के विरुद्ध माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल.रिट याचिका संख्या 10969/2014 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.10.2014 को स्थगन आदेश पारित कर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। जिसके आधार पर श्री भगवत प्रसाद सिंघल आज तक लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, धौलपुर में कार्य कर रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के सिविल याचिका संख्या 10969/2014 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री भगवत प्रसाद सिंघल का नाम लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में लेखाकार पद की आरक्षित सूची में मेरिट क्रमांक आर-5 पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया है।

श्री भगवत प्रसाद सिंघल लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में चयनोपरांत अब लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर ही कार्यरत रहेंगे। उनका वरीयता क्रमांक अब 270ए/2011 के स्थान पर आर-5/2011 होगा तथा वे अपने वर्तमान पद पर कार्यालय, सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, धौलपुर में ही कार्यरत रहेंगे।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट याचिका संख्या 12141/2016 एवं अन्य याचिकाओं में अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन जारी किया जाता है।


(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/18/1

दिनांक:- 11.01.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संबंधित कोषाधिकारी।
4. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, धौलपुर
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग/ वरिष्ठता।
7. श्री.....स.ले.अ. ग्रेड-11 कार्यालय.....।
8. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/

दिनांक:- 11.01.2017

आदेश संख्या 151/2016-17

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में श्री संदीप कुमार लाटा, लिंक नं. 9742 (पूर्व मेरिट क्रमांक 272सी-2011) को सफल घोषित किए जाने पर विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख)(1)अलेसे-11 / 15023-60 दिनांक 21.08.2013 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 15322-28 दिनांक 10.09.2013 से परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में 2 वर्ष की कालावधि के लिए उपस्थिति देने की तिथि से 13050/- रुपये के नियत पारिश्रमिक पर अतिरिक्त आयुक्त (माडा), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर में नियुक्ति दी गई। इनके द्वारा दिनांक 11.09.2013 को अतिरिक्त आयुक्त (माडा), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर में उपस्थिति दी गई।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा-2011 का परीक्षा परिणाम दिनांक 13.10.14 को रिशफल किया गया था, जिसमें श्री संदीप कुमार लाटा का चयन लेखाकार के स्थान पर कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु किया गया। श्री संदीप कुमार लाटा के द्वारा रिशफल परीक्षा परिणाम के विरुद्ध माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल.रिट याचिका संख्या 10969/2014 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.10.2014 को स्थगन आदेश पारित कर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। जिसके आधार पर श्री संदीप कुमार लाटा आज तक लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर अतिरिक्त आयुक्त (माडा), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर में कार्य कर रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के सिविल याचिका संख्या 10969/2014 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री संदीप कुमार लाटा का नाम लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में लेखाकार पद की आरक्षित सूची में मेरिट क्रमांक आर-9 पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया है।

श्री संदीप कुमार लाटा लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में चयनोपरांत अब लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर ही कार्यरत रहेंगे। उनका वरीयता क्रमांक अब 272सी/2011 के स्थान पर आर-9/2011 होगा तथा वे अपने वर्तमान पद पर कार्यालय, अतिरिक्त आयुक्त (माडा), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर में ही कार्यरत रहेंगे।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट याचिका संख्या 12141/2016 एवं अन्य याचिकाओं में अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन जारी किया जाता है।


(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/18/3

दिनांक:- 11.01.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संबंधित कोषाधिकारी।
4. अतिरिक्त आयुक्त (माडा), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग/ वरिष्ठता।
7. श्री..... स.ले.अ. ग्रेड-11 कार्यालय.....।
8. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/

दिनांक:- 11.01.2017

आदेश संख्या 152 / 2016-17

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में श्री देवीसिंह राठौड़, लिंक नं. 9743 (पूर्व मेरिट क्रमांक 273ए-2011) को सफल घोषित किए जाने पर विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख)(1)अलेसे-11 / 15023-60 दिनांक 21.08.2013 से परीक्षाधीन लेखाकार के रूप में 2 वर्ष की कालावधि के लिए उपस्थिति देने की तिथि से 13050/- रुपये के नियत पारिश्रमिक पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोतरा, जिला बाडमेर में नियुक्ति दी गई। इनके द्वारा दिनांक 24.08.2013 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोतरा, जिला बाडमेर में उपस्थिति दी गई।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा-2011 का परीक्षा परिणाम दिनांक 13.10.2014 को रिशफल किया गया था, जिसमें श्री देवीसिंह राठौड़ का चयन लेखाकार के स्थान पर कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु किया गया। श्री देवीसिंह राठौड़ के द्वारा रिशफल परीक्षा परिणाम के विरुद्ध माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल.रिट याचिका संख्या 11999/2014 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.11.2014 को स्थगन आदेश पारित कर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। जिसके आधार पर श्री देवीसिंह राठौड़ आज तक लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर ही (वर्तमान में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिव, बाडमेर) में कार्य कर रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के सिविल याचिका संख्या 10969/2014 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री देवीसिंह राठौड़ का नाम लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में लेखाकार पद की आरक्षित सूची में मेरिट क्रमांक आर-10 पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया है।

श्री देवीसिंह राठौड़ लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में चयनोपरांत अब लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर ही कार्यरत रहेंगे। उनका वरीयता क्रमांक अब 273ए/2011 के स्थान पर आर-10/2011 होगा तथा वे अपने वर्तमान पद पर कार्यालय, विवास अधिकारी, पंचायत समिति, शिव (बाडमेर) में ही कार्यरत रहेंगे।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट याचिका संख्या 12141/2016 एवं अन्य याचिकाओं में अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन जारी किया जाता है।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/18/4

दिनांक:- 11.01.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संबंधित कोषाधिकारी।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिव (बाडमेर)।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. डीपीसी अनुभाग / गोपनीय अनुभाग / वरिष्ठता।
7. श्री.....स.ले.अ. ग्रेड-11 कार्यालय.....।
8. रक्षित पंजिका / आदेश पंजिका।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/

दिनांक:- 11.01.2017

आदेश संख्या 153/2016-17

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में श्री अमर भण्डारी, लिंक न0 9739 (पूर्व मेरिट क्रमांक 270बी-2011) को सफल घोषित किए जाने पर विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख)(1)अलेसे-11 / 15023-60 दिनांक 21.08.2013 से परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में 2 वर्ष की कालावधि के लिए उपस्थिति देने की तिथि से 13050/- रुपये के नियत पारिश्रमिक पर उपकोषालय, भदेसर जिला चित्तौडगढ में नियुक्ति दी गई। इनके द्वारा दिनांक 22.08.2013 को उपकोषालय, भदेसर जिला चित्तौडगढ में उपस्थिति दी गई।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा-2011 का परीक्षा परिणाम दिनांक 13.10.14 को रिशफल किया गया था, जिसमें श्री अमर भण्डारी का चयन लेखाकार के स्थान पर कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु किया गया। श्री अमर भण्डारी के द्वारा रिशफल परीक्षा परिणाम के विरुद्ध माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल.रिट याचिका संख्या 7395/2014 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.10.2014 को स्थगन आदेश पारित कर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। जिसके आधार पर श्री अमर भण्डारी आज तक लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर उपकोषालय, भदेसर जिला चित्तौडगढ में कार्य कर रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के सिविल याचिका संख्या 10969/2014 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री अमर भण्डारी का नाम लेखाकार/क0ले0 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में लेखाकार पद की आरक्षित सूची में मेरिट क्रमांक आर-6 पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया है।

श्री अमर भण्डारी लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में चयनोपरांत अब लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) के पद पर ही कार्यरत रहेंगे। उनका वरीयता क्रमांक अब 270बी/2011 के स्थान पर आर-6/2011 होगा तथा वे अपने वर्तमान पद पर कार्यालय, उपकोषालय, भदेसर जिला चित्तौडगढ में ही कार्यरत रहेंगे।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट याचिका संख्या 12141/2016 एवं अन्य याचिकाओं में अंतिम निर्णय के अध्वधीन जारी किया जाता है।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1)(परीक्षा)2011/अलेसे-11/1415

दिनांक:- 11.01.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संबंधित कोषाधिकारी।
4. उपकोषाधिकारी, भदेसर जिला चित्तौडगढ।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग/वरिष्ठता।
7. श्री.....स.ले.अ. ग्रेड-11 कार्यालय.....।
8. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11)